जम्मू कश्मीर में चार कर्मचारी बर्खास्त

केंद्र शासित प्रदेश में आतंकियों से संबंधों के आरोप में की गई कार्रवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में एक चिकित्सक और एक पुलिसकर्मी सहित चार सरकारी कर्मचारियों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में सहायक प्रोफेसर (चिकित्सा) निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला कर्मी अब्दुल सलाम राठेर और शिक्षा विभाग में शिक्षक फारुख अहमद मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त कर दिया गया। पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया है।

ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और अलगाववादी एजंडे को आगे बढ़ा रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग लेकिन समान बर्खास्तगी के आदेश में कहा कि उप राज्यपाल तथ्यों पर विचार के बाद की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। आदेश में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चारों कर्मचारियों की गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधान के उप-खंड (सी) के तहत उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में मामले में जांच कराना आवश्यक नहीं है। ये बर्खास्तगी आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र और उनके अहम साझेदारों पर चल रही कड़ाई का हिस्सा है, जिन्हें अतीत में अलग-अलग शासन ने गुप्त रूप से सरकारी तंत्र में शामिल किया था।

हसन उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर स्थित 'डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर' (डीएके) का स्वयंभू अध्यक्ष है, वह 'अलगाववाद' फैला रहा था और उसे 'सीमा पर से स्पष्ट निर्देश' थे। हसन ने एक कट्टर अलगाववादी के तौर पर छवि बनाई और वे लगातार अलगाववादियों और आतंकवादियों को नैतिक समर्थन प्रदान कर रहा था। वह एक 'संभावित टाइम-बम' है जिसका भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ व्यापक हिंसा और अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकवादी-अलगाववादी नेटवर्क किसी भी समय फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। राठेर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का निवासी है और उसका आतंकवादियों के साथ संबंधों का एक लंबा इतिहास है। उसने अपनी गोद ली हुई बेटी का विवाह पाकिस्तान के पंजाब के कसूर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) कमांडर हबीबुल्लाह मलिक उर्फ सज्जाद जट से की थी।

2005 में पाकिस्तान भागने से पहले मलिक कई वर्षों तक घाटी में सक्रिय रहा। उन्होंने बताया कि राठेर का असली काम आतंकवादी संगठनों हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के लिए युवाओं को भर्ती करना और समर्थकों तथा मददगारों का नेटवर्क बनाना था।

आरोप पत्र में खुलासा : निलंबित शिक्षक को जेल में कैद के दौरान भी वेतन मिला

जम्मू, 22 नवंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सेवा से निलंबित किए गए चार सरकारी कर्मचारियों में से एक फारूक अहमद मीर के खिलाफ बुधवार को दाखिल आरोप पत्र से सामने आया कि उसे प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी होने के बावजूद नियुक्त किया गया और जेल में रहने के दौरान उसे वेतन दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मीर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का निवासी है जिसे संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया था। उसने वर्ष 1990 में देश में फिर से घुसपैठ करने से पहले सीमा पार आइएसआइ संचालित शिविरों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया था। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1991 में गिरफ्तार होने से पहले वह हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का शीर्ष कमांडर था। मीर को दो वर्ष तक हिरासत में रखने के बाद वर्ष 1993 में रिहा कर दिया गया। मीर ने रिहाई के तुरंत बाद अलगाववादी-आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपनी संबद्धता एवं प्रभाव का अच्छा उपयोग किया और शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हो गया।

महोत्सव सिने अदाकारा अदिति राव हैदरी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने गोवा पहुंचीं।

कर्नाटक में अगले सप्ताह

बोर्डों, निगमों में नियुक्तियों को अंतिम रूप देगी सरकार

बंगलुरु , 22 नवंबर (भाषा)।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अगले सप्ताह एक और दौर की चर्चा के बाद विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों को अंतिम रूप देगी तथा फिर सूची को अनुमोदन के लिए पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ इस विषय पर मंथन किया।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा कि आज भी उन्होंने (सुरजेवाला ने) चर्चा की है। हममें से कुछ नेता भी उनसे बात कर रहे हैं। हमने कुछ वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की राय मांगी है। वे 28 नवंबर को फिर से आ रहे हैं। इस बीच , मुख्यमंत्री (सिद्धरमैया) और मैं चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला चुनाव प्रचार के बाद 28 नवंबर को शहर वापस आएंगे , जिसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर दिल्ली भेजा जाएगा। सिद्धरमैया ने मंगलवार को संकेत दिया था कि विभिन्न वैधानिक बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां चरणों में की जाएंगी , जिनमें पहले मौजूदा विधायकों और एमएलसी की नियुक्तियां होंगी और फिर कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों को स्थान मिलेगा। शिवकुमार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि गृह मंत्री जी परमेश्वर अपने कुछ समर्थकों को बोर्ड और निगम नियुक्तियों की संभावित सूची में शामिल न किए जाने से नाराज हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब 'अनावश्यक अटकलें' हैं और पार्टी पूरी तरह एकजुट है।

शिवकुमार ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए क्या ऐसा (नियुक्तियां) नहीं करती ? हम कम से कम अब नियुक्तियां कर रहे हैं , उन्होंने कब किया ? वे अनावश्यक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं। वे चार मंत्री पद भी नहीं भर सके और उन्हें खाली रखा।

भाजपा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सिद्धरमैया सरकार, जो व्यवस्थित तरीके से फोन पर तबादला कारोबार (पोस्टिंग के लिए नकद) का प्रबंधन करती है, अब तक बोर्डों और निगमों के पदों की नीलामी का इंतजार कर रही थी। सुरजेवाला अब आए हैं और पदों की नीलामी की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं।

क्लोरीन रसायन रोगाणुओं को समाप्त करने में हो रहे बेअसर

अस्पतालों में काम करने वालों को संक्रमण का खतरा, वैकल्पिक रणनीति के लिए शोध जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

दुनियाभर के अस्पतालों में फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रमुख क्लोरीन रोगाणुनाशक, इनसे होने वाली बीमारियों की रोकथाम में अब प्रभावशाली नजर नहीं आते। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है।

ब्रिटेन में 'यूनिवर्सिटी आफ प्लाईमाउथ' के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अनेक अस्पतालों में इस्तेमाल ब्लीच की अधिक सांद्रता के बाद भी क्लास्ट्रिडियोआइड डिफिसिल (सी डिफ) नामक रोगाणु पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने पाया कि फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्लोरीन रसायन रोगाणुओं को समाप्त करने में बेअसर रहते हैं और पानी की तुलना में अधिक प्रभावी रोगाणुनाशक का काम नहीं करते।

'माइक्रोबायलाजी' नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन बताता है कि अस्पतालों में काम करने वाले और वहां इलाज कराने वाले लोग अनजाने में सुपरबग की चपेट में आने के जोखिम में होते हैं। दुनिया भर में रोगाणुनाशक रसायनों के अधिक इस्तेमाल से केवल रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) में वृद्धि होती है और अनुसंधानकर्ता क्लीनिकल वातावरण में संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए सीडिफ रोगाणुओं को निष्प्रभावी करने के वास्ते वैकल्पिक रणनीतियों को खोजने के लिहाज से तत्काल अनुसंधान की जरूरत बताते हैं। प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी की चिकित्सा छात्रा हुमैरा अहमद के साथ अध्ययन करने वाली एसोसिएट प्रोफेसर टीना जोशी ने कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के मामलों में वृद्धि के साथ मानव स्वास्थ्य को सुपगबग से होने वाले खतरे बढ़ रहे हैं। सीडिफ एक ऐसा रोगाणु है जिससे अतिसार, कोलाइटिस (आंत की समस्या) और आंत संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं और इससे हर साल दुनियाभर में लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सुपरबग रोगाणुओं, जीवाणुओं, परजीवी और कवक के स्वरूप हैं जो उनके कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली अधिकतर एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।

शिवकुमार के मामले में सुनवाई 29 तक स्थगित

बंगलुरु, 22 नवंबर (भाषा)।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अपील पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अपील में शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई जांच की मंजूरी को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील उदय होल्ला द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दायर करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सीबीआइ ने 15 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश का उल्लेख किया था जिसमें जांच एजेंसी द्वारा स्थगन को रद्द करने के आवेदन को दो सप्ताह के भीतर निपटाने को कहा गया था। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की थी। एएसजी ने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि सीबीआइ 27 नवंबर को अपनी दलीलें पेश करेगी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता के वकील को आज ही अपना मामला पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि 27 नवंबर को कोई सुनवाई नहीं होगी। शिवकुमार के वकील होल्ला ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए केवल 30 मिनट की जरूरत है और कहा कि उन्हें सुनवाई स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031,
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 26-04-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ताओं और गारंटरों 1. पंकज कुमार, 2. पुष्पा तुलबहादुर को सूचना में अंकित राशि रु. 11,19,812.19/- (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ बारह एवं उन्नीस पैसे मात्र), 25-04-2023 के अनुसार देय, का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 17 नवंबर 2023 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 11,19,812.19/- (रुपये ग्यारह लाख उन्नीस हजार आठ सौ बारह एवं उन्नीस पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्लैट नं. 103 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल (छताधिकारों के बिना) पर, माप 45 वर्ग मीटर (आवृत्त क्षेत्रफल), भूखंड सं. डी-1/4 पर निर्मित, खसरा सं. 348 में से, रेल विहार कॉलोनी, ग्राम : सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील : लोनी, जनपद : गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), 201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व : मस्जिद, पश्चिम : दीगर संपत्ति, उत्तर : रास्ता 25 फुट चौड़ा, दक्षिण : भूखंड रेल विहार सोसाइटी

दिनांक : 17-नवंबर-2023
स्थान : गाजियाबाद
ऋण खाता सं.: 12965024

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)

वित्तीय साक्षरता पर बात करेंगे विशेषज्ञ : किसी भी क्षेत्र के जुड़े लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत आवश्यक होती है। फिर चाहे वे डाक्टर या इंजीनियर हो या फिर किसान हो। इसी उद्देश्य के लिए शुक्रवार को 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता सम्मेलन 2023' के छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे। सम्मेलन का आयोजन अवोक इंडिया कर रही है। इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि दिन भर चलने वाला यह सम्मेलन कृषि, युवा, महिला, एमएसएमआर और नवउद्यमों और बीएफएसआइ क्षेत्र पर केंद्रित पांच पैनलों में शामिल प्रतिष्ठित पैनलिस्ट/उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ने और मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन के विषय 'वित्तीय समावेशनः अंतराल को कम करना' है। **नई दिल्ली (जनसत्ता ब्यूरो)।**

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकोन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली-110025
सीआईएनः यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण/ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तदनुसार **07-12-2023** को उन शाखा परिसरों में **12.00 बजे** नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था/किए गए थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
इंदिरापुरम	101942516210	श्रद्धा जोशी	पुत्री अनिल जोशी	# डी 308 केयू, सेक्टर-2, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र, थानेसर हरियाणा 136118	04-07-2023	76678.05
गाजियाबाद	101542511901	नीरज कुमार	पुत्र सरोज कुमार सिंह	# 378 ए एचबीसी, सेक्टर 19, पंचकुला हरियाणा 134113	20-06-2023	21415.34

नीलामी तिथि 07-12-2023 को दोप. 12.00 बजे है

बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना के नीलामी से किसी खाता को हटाने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

टिप्पणी : दिनांक 21/11/23 को प्रकाशित पूर्व के प्रकाशन को अमान्य एवं निरस्त किया जाता है, क्योंकि 28/11/23 को अनुसूचित नीलामी को 07/12/23 के लिये पुनःअनुसूचित कर दिया गया है। असुविधा के लिये खेद है।

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
CIN : U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित कर्जदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिसों सहित विभिन्न मांगों और नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए गोल्ड लोन को समायोजित नहीं किया गया है। सभी कर्जदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार 07.12.2023 को दोपहर 12:00 बजे उस शाखा परिसर में नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है जहाँ से ऋण लिया गया था। नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार इस नीलामी में कर्जदारों, खाताधारकों और बड़े पैमाने पर जनता सहित सभी भाग ले सकते हैं।

शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	खाता खुलने की तिथि	पेऑफ
गंगोह	100242511772	सुषमा	वाया राकेश	म.नं.-122 गांव-जोगीपुरा उर्फ हमजगढ़ उ.प्र. 247341	08-05-2023	103835.73
नोएडा-18	100742595790	भीम सिंह		म.नं.-44, नंगला वाजिदपुर, जीबी नगर उ.प्र. 201306	17-08-2022	109995.55
गंगोह	100242511460	मेहरबान	वाया नफीस	म.नं. 409, कुंडा कलां-पीएस-गंगोह, सहारनपुर उ.प्र.-247341	04-08-2022	24756.62
इंदिरापुरम	101942515329	सतीश सिंह	धनपाल सिंह पुत्र	1,.,धनपाल सिंह चिल्ला गांव सरोदा, खादर साईं मंदिर दिल्ली 110091	23-02-2023	125681.48
नोएडा-18	100742598385	आकाश बंसल	सुभाष चंद बंसल पुत्र	नंबर 1, एमबी -20, पुराना पोस्ट ऑफिस वाली गली, शकरपुर बरामदा पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110092	22-02-2023	294894.64
नोएडा-18	100742599668	गुड्डी पत्नी ओम प्रकाश	पुत्री नानका	60, पानी टंकी के पास परवाला खुसरूपुर जहाजगढ़, दौलताबाद-53 हरियाणा-122006	04-07-2023	67400.17
नोएडा-18	100742598752	कुलदीप जादौन	पुत्र भरत सिंह जादौन	एमएच-387, ग्राउंड फ्लोर, मोहम्मदपुर, शाहबाद, दक्षिण पश्चिम शनि मंदिर के पास दिल्ली 110061	18-03-2023	28705.81
मेरठ	100841510640	मलखान सिंह	पुत्र बगमल सिंह	चौरा, सेक्टर 22, सादतपुर, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उ.प्र.-201301	26-12-2022	92562.82
नोएडा-18	100742574626	भीम मल्होत्रा	पुत्र महेंदर लाल मल्होत्रा	डी 10, साउथ अनारकली, गली नंबर 1, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110051	18-04-2022	372603.24
नोएडा-18	100742599621	रवीना दुग्गल	वाया सतीश चंद	बी 8, आजादपुर, एमसी डी फ्लैट, नानी वाला बाग, आजादपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110033	24-06-2023	198253.57
नोएडा-18	101042515383	सुमन पत्नी रामवीर सिंह	पुत्र महावीर सिंह	8ए, खानपुर, महरौली, दिल्ली 110062	02-05-2023	555373.02
नोएडा-18	100742599344	अजहरुद्दीन	पुत्र नजीमुद्दीन	जे 18.मुल्ला कॉलोनी, गली नंबर 6, घरोली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110096	18-05-2023	31448.94
नोएडा-18	100742599511	रेनू पत्नी संजय कुमार	पुत्र पी. सुंदरम	ई 4 172, ब्लॉक ई 4, नंद नगरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110093	08-06-2023	54901.08
इंदिरापुरम	101942516084	मोहित.	पुत्र सत्यबीर	सी 174, सेक्टर 122, आरडब्ल्यूए सोसाइटी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र. 201304	01-06-2023	1780344.44
इंदिरापुरम	101942515751	अजय कुमार	पुत्र किशन सहाय	48ए, भूतल पॉकेट सी-2 मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली-110096	03-04-2023	240311.06
नोएडा-18	100742594949	रंजीत तिवारी	पुत्र ब्यास तिवारी	बी101, मयूर विहार, 14, मयूर विहार पीएच 1, पूर्वी दिल्ली प्रताप नगर, दिल्ली 110091	12-07-2022	186559.11
नोएडा-18	100742595298	अंकित गुप्ता	पुत्र सर्वेश गुप्ता	सेक्टर 22, चौरा सादतपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर प्राइमरी स्कूल के पास उ.प्र. 201301	20-07-2022	440645.67
नोएडा-18	100742599685	विजय पी बघेल	पुत्र रघुवीर सिंह	बहैता हाजीपुर, संतोष विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद, लोनी उ.प्र. 201102	11-07-2023	49552.66
इंदिरापुरम	101942516249	विजय पी बघेल	पुत्र रघुवीर सिंह	बहैता हाजीपुर, संतोष विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद लोनी उ.प्र. 201102	13-07-2023	48912.09
चिलकाना रोड	100942510552	मोहम्मद साहबाज	पुत्र मोहम्मद मुस्तफा	खेड़ा मावत, सहारनपुर, उ.प्र.-247231	31-08-2022	76255.59
इंदिरापुरम	101942515372	अनिल कुमार	पुत्र भानुप्रताप सिंह	डी 424, जीसी 3, गौड़ एवेन्यू, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र.-201301	27-02-2023	315868.73
गाज़ियाबाद	101542512266	अनिल कुमार	पुत्र भानुप्रताप सिंह	डी 424, जीसी 3, गौड़ एवेन्यू, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र.-201301	11-09-2023	210135.34
इंदिरापुरम	101942516150	थॉमस पी ऑगस्टी	पुत्र पुथेनपुरेल थॉमस ऑगस्टी	193 बी, पॉकेट सी 2, मयूर विहार चरण 3, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110096	16-06-2023	742619.56
इंदिरापुरम	101942516177	अनुपम अरोड़ा	पुत्र रमेश अरोड़ा	159 स्वयं सिद्ध कॉलोनी, पूर्वी पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली शिव मंदिर के पास दिल्ली 110026	22-06-2023	688427.71
नोएडा-18	100742599445	विशाल त्यागी	पुत्र विजय पाल त्यागी	आर-3/11, 3, शिवम अस्पताल के पास, राजनगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	30-05-2023	609761.38
नोएडा-18	100742597196	कंवरजीत सिंह	पुत्र गुरबचन सिंह	एफ-33, फाजिलपुर रोड, स्पेज प्रिवी, सेक्टर 72, चक्करपुर, गुड़गांव हरियाणा 122002	09-12-2022	172660.76
नोएडा-18	100742599674	अमित तिवारी	पुत्र राज किशोर	एफ 183 डबल वाटर टैंक, नंदग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	06-07-2023	127624.63
नोएडा-18	100742599658	माधव रमन	पुत्र टीकू राम	124 सी, सेक्टर 4, पुष्प विहार, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017	03-07-2023	116591.12
नोएडा-18	100742599696	निथापा	वाया सुनील थापा	क्यू395 कमरा नं. 5 दूसरी मंजिल, साउथ सिटी, सेक्टर-40, क्यू ब्लॉक, गुड़गांव हरियाणा 122001	14-07-2023	82714.88
मेरठ	100842511547	विशाल	पुत्र नवीन कुमार	171, वझीलपुर, हापुड, उ.प्र. 245101	17-03-2023	274216.97
इंदिरापुरम	101942516163	रेखा खंडूरी	सुरेषा नन्द डबराल पुत्र	309 पॉकेट 3, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम विहार एसओ वेस्ट दिल्ली पश्चिम पुरी दिल्ली 110063	19-06-2023	496535.01
इंदिरापुरम	101942515478	कीर्ति साधवानी	पुत्री तुलसीदास साधवानी	प्लॉट नंबर-2206 सुशांतलोक चरण 1, ब्लॉक सी, गोल्ड स्वीट्स के पास, गुड़गांव हरियाणा 122002	09-03-2023	22557.65
इंदिरापुरम	101942515869	रितेश के चौधरी	वाया चिरंजीव चौधरी	312 तीसरी मंजिल सिल्वर बेल शालीमार सिटी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005	17-04-2023	277885.89
इंदिरापुरम	101942515643	सीमा राय	पुत्री वीरेंद्र प्रतापराय	मकान नंबर 16.खसरा, 1, मंदिर, गाजियाबाद उ.प्र. 201309	24-03-2023	77118.66
इंदिरापुरम	101942515793	मनीष एस राणा	पुत्र बद्री नाथ	सी-28.पार्ट2, बद्री नाथ गली नंबर 3, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली कुतुब विहार, दिल्ली, दिल्ली 110071	05-04-2023	249295.16
गाज़ियाबाद	101542511508	पवन पांडे	वाया राम बली पांडे	267, मदनपुर खादर, सूर्य मुहल्ला, सरिता विहार, दक्षिण दिल्ली आरबीजेडवाईएम-110076	27-04-2023	38793.65
गाज़ियाबाद	101542512074	दीपक कुमार	पुत्र महीपाल सिंह	मकान नंबर 203, गाजियाबाद, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद शंकर लाल अस्पताल के पास, उ.प्र.-201001	20-07-2023	132775.12
गाज़ियाबाद	101542512649	दीपक कुमार	पुत्र महीपाल सिंह	मकान नंबर 203, गाजियाबाद, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद शंकर लाल अस्पताल के पास, उ.प्र.-201001	07-11-2023	58900.55
गाज़ियाबाद	101542511898	अर्चना	पुत्री रोहताश कुमार अग्रवाल	बी 5 309 दूसरी मंजिल, सेक्टर 11, रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110085	20-06-2023	396041.97
गाज़ियाबाद	101542511912	संदीप देवकोटा	पुत्र प्रकाश देवकोटा	ई 185, सेक्टर 25 रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110085	22-06-2023	40596.90
गाज़ियाबाद	101542511973	उज्ज्वल सिंह	पुत्र लालबाबू सिंह	फ्लैट नंबर 1603, किमी 19, जेपी कोसमोस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सेक्टर 134 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201304	03-07-2023	153437.81
गाज़ियाबाद	101542511999	उज्ज्वल सिंह	पुत्र लालबाबू सिंह	फ्लैट नं. 1603, किमी 19, जेपी कोसमोस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सेक्टर 134 नोएडा गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.-201304	07-07-2023	55745.35
गाज़ियाबाद	101542512004	सुशीला देवी पत्नी जयकेश कुमार पांचाल	पुत्री रतन सिंह पांचाल	डी 77 राजीव कॉलोनी मोहन नगर गाजियाबाद उ.प्र.-201007	07-07-2023	107824.66
गाज़ियाबाद	101542512045	मनीष सिंह	वाया विनीत कुमार	प्लॉट 1034 द्वितीय तल नीतिखंड-1 इंदिरापुरम गाजियाबाद उ.प्र.201014	17-07-2023	26812.33
गाज़ियाबाद	101542512060	मोहम्मद चांद	वाया अब्दुल अजीज	मकान नंबर सी28, गली नंबर 7, ब्रह्मपुरी, सीलमपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110053	18-07-2023	129221.37

नीलामी की तिथि 07.12.2023 को 12:00 दोपहर है

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

नोटः दिनांक 21/11/23 को किया गया पूर्व प्रकाशन शून्य एवं अमान्य है, क्योंकि 28/11/23 को जो नीलामी निर्धारित थी, वह 07/12/23 को पुनर्निर्धारित कर दी गयी है। असुविधा के लिए खेद है।

www.readwhere.com